बिहार शिक्षा परियोजना, नवादा।

तकनीकी पर्यवेक्षकों के पैनल निर्माण हेतु विज्ञापन सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार शिक्षा परियोजना, (सर्व शिक्षा अभियान), नवादा के अंतर्गत जिला में असैनिक कार्य यथा विद्यालय भवन, अतिरिक्त वर्गकक्ष, कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, संसाधन कक्ष, शौचालय, चापाकल इत्यादि का निर्माण कार्य विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। विद्यालय शिक्षा समितियों को इन निर्माण कार्यों में तकनीकी अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए 21 तकनीकी पर्यवेक्षक की आवश्यकता है। जिला स्तर पर सेवानिवृत/बेरोजगार डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी असैनिक अभियंता/ वास्तुविद् जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा समितियों को उपर्युक्त असैनिक कार्यों में तकनीकी अनुसमर्थन देने के लिए इच्छुक है और जिन्हें न्यूनत्तम 01 वर्ष का भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य अनुभव हो, वे जीवनवृत (BIO-DATA) एवं शैक्षणिक तथा अनुभव प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ अपना आवेदन संलग्न करते हुए जिला स्तरीय कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, शकुंतलम् नगर, नवादा–805110 में दिनांक **27.10.2012** के अपराह्न 4:00 बजे तक रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। बेरोजगार डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी असैनिक अभियंता/वास्तुविद आवेदक का विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से पूर्व का Employment Exchange में निबंधन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दिनांक 27.10.2012 तक प्राप्त आवेदनों में से Shortlisted Candidates की सूची www.nawada.bih.nic.in पर देखी जा सकेगी तथा Exam/Interview का स्थल भी Website पर हीं अंकित होगा। Shortlisted उम्मीदवारों का Exam/Interview दिनांक 04.11.12 को पूर्वाहन् 11.00 बजे से लिया जाएगा। चयनित तकनीकी पर्यवेक्षक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे चयन/ कार्य आवंटन के पश्चात् किसी भी जिले में अन्यत्र अंशकालिक या पूर्णकालिक तकनीकी सेवा नहीं देगें। पैनल निर्माण के पश्चात् एक तकनीकी पर्यवेक्षक के अधीन 20 से 25 निर्माण स्थल होगें एवं सम्यक पर्यवेक्षण कर आवंटित निर्माण कार्य को प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक पूरा करवाना अनिवार्य होगा। ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य समाप्ति के उपरांत अभियंताओं को असैनिक कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु अनुमोदित प्राक्कलित राशि का 01 प्रतिशत या राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा। तकनीकी पर्यवेक्षक बिहार शिक्षा परियोजना के कर्मी नहीं माने जायेगें तथा वे न्यायालय में किसी तरह की सेवा का दावा करने के अधिकृत नहीं होगें। तकनीकी पर्यवेक्षक का कार्यक्षमता पर जिला स्तरीय समिति निर्णय लेकर केवल सूचना देते हुए उनको सेवामुक्त करने के लिए सक्षम होगी। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी www.nawada.bih.nic.in पर देखी जा सकती है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–उपाध्यक्ष,
सर्व शिक्षा अभियान, नवादा।

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
सर्व शिक्षा अभियान, नवादा।